

**FORM - III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

भोगा राम बनाम राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 113 सन 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 192

हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज

तामिल हुकम

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

26.06.2024

वादी भोगा राम पुत्र नत्थू राम जाति कुम्हार निवासी चक 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परुथी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण के संबध में रिपोर्ट हेतु तहसीलदार श्रीकरणपुर को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 30.07.2024 को पेश हो।

श्री. मोहनलाल

20/7

18/7/24

आज यह पत्रावली सहकारितादर कृष्ण लाल व मोहनलाल के द्वारा शपथ पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त हुई। सामिल मिलल रहे। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/07/24 को पेश हो।

श्री. मोहनलाल

पटनावक्ता  
Kunjan Kumar  
Advocate

22/7/24

वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र रिपोर्ट TDR KPR के आधार पर स्वीकार किया जाता है। पचा डिक्री इस आशय का जारी हो। पचा डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनायक प्रेषित हो। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर पाखिल हुक्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर